समक्ष न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर मध्य प्रदेश केम्प, जबलपुर

पुनरीक्षण क्रमांक /2016 नि.ग - 498-I-16

दुर्गेश कुमार झारिया आत्मज - श्री नेठूलाल झारिया, उम्र- करीबन 50वर्ष, निवासी-ग्राम- बिहर, थाना तह. पनागर, जिला- जबलपुर ------ आवेदक

विरुद्ध

शारदा प्रसाद आत्मज- श्री कढ़ोरीलाल निवासी- ग्राम बिहर, थाना व तहसील पनागर, जिला- जबलपुर {म0प्र0} ------------ अनावेदक

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू राजस्व संहिता।

आवेदक निम्न निवेदन करता है :-

तथ्य

1{ यह कि अनावेदक ने एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा- 250म.प्र.भू.रा. संहिता के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया है और अपने आवेदन पत्र में यह कथन कियाकि आवेदक ने मौजा बिहर प.ह.नं.7 रा.नि.मं. पनागर ख.नं. 169, रकबा 0.15 हे. के कुछ भाग पर बेजा कब्जा कर लिया है जिसे वाणिज्य कब्जा अनावेदक को दिलाया जावे ।

2{ यह कि अनावेदक ने यह भी कथन अपने आवेदन पत्र में किया कि अनावेदक ने वादग्रस्त भूमि का सीमांकन करवाया था और सीमांकन के समय आस-पास के कृषक थे लेकिन आवेदक उपस्थित नही था लेकिन मौके पर जो कुछ खुटी गडाई थी वे खूंटियां आवेदक ने उखाड़ दिया है ।

3{ यह कि अनावेदक द्वारा प्रस्तुत प्रकरण का नोटिस आवेदक को दिया गया । आवेदक ने एक आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 11 नियम 14 सहपठित धारा- 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का प्रस्तुत किया है। अनावेदक ने वादग्रस्त भूमि से संबंधित कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किये हैं इसलिये अनावेदक ने वादग्रस्त भूमि से संबंधित कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नही किये

..2

श्री आर० एस० साहू अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत
प्रस्तुतकार रीडर
23 FEB 2016
अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर संभाग

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 798–एक / 16 जिला – जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28–12–16	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी नायब तहसीलदार, पनागर के द्वारा प्रकरण कमांक 566 / बी–121 / 2014–15 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 27–1–16 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है । 2/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा प्रकरण मुख्य रूप से उन्हीं तर्कों को दोहराया गया है जो उनके द्वारा निगरानी मेमो में उद्धरित किए गए हैं । अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रकरण का निराकरण रिकार्ड के आधार पर किए जाने का निवेदन किया गया है । 3/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया तथा आलोच्य आदेश का परिशीलन किया । तहसीलदार के आलोच्य आदेश को देखने से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा स्वयं उपस्थित होकर जबाव प्रस्तुत किया कि उसका प्रश्नाधीन भूमि पर कब्जा नहीं है, उस पर से नायब तहसीलदार ने पटवारी को आदेशित किया है कि वह फील्ड बुक अनुसार भूमि का कब्जा सौंपकर पंचनाम रिर्पोट पेश करे । चूंकि आवेदक द्वारा कब्जा न होने संबंधी स्वयं उपस्थित होकर लेख किया है, ऐसी स्थिति में नायब तहसीलदार का आलोच्य आदेश न्यायिक एवं विधिसम्मत है और उसमें	

R. 798 I/16 ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	मर्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	ऐसी कोई विधिक या सारवान त्रुटि नहीं है, जिस कारण किसी प्रकार का हस्तक्षेप आवश्यक हो दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है । पक्षकार सूचित हों एवं अभिलेख वापिस हो । सदस्य	